

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 492 सन 2021

अनवान :-

1. सुरेन्द्रदीपसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मक्तासर पंजाब ।
2. दिलप्रीतसिंह पुत्र सेवकसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मक्तासर पंजाब ।

वादीगण

बनाम

1. रिछपालसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तासर ।
2. सेवकसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तासर ।
3. गुरपालकोर पत्नी जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तासर
4. गगनदीपकोर पुत्री जगदेवसिंह जाति जटसिख-निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तासर
5. मनप्रीतसिंह पुत्र जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तासर ।
6. हरप्रीतसिंह पुत्र सेवकसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तासर ।
7. राजस्थान सरकार-जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 29.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आरय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 252/247 की कुल 3.3520हेक् एवं खाता संख्या 334/330 की कुल 16.3750हेक् में से 379/16375 हिस्सा अर्थात 0.3790 हेक् एवं खाता संख्या 508/497 की कुल 14.1000हेक् में से 1/28 हिस्सा अर्थात 0.503577हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह को देहान्त हो चुका है बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी संख्या 1 का पिता, प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 2 का पिता प्रतिवादी संख्या 3 मृतक जगदेवसिंह की पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 4 जगदेवसिंह की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछे दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह को देहान्त हो चुका है बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किररी प्रकार का ऐतराज नहीं है य अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिराल किया एवं परोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधि-
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 815 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 252/247 की कुल 3.3520हैक एवं खाता संख्या 334/330 की कुल 16.3750हैक में से 379/16375 हिस्सा अर्थात 0.3790 हैक एवं खाता संख्या 508/497 की कुल 14.1000हैक में से 1/28 हिस्सा अर्थात 0.503577हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह को देहान्त हो चुका है बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 252/247 की कुल 3.3520हैक एवं खाता संख्या 334/330 की कुल 16.3750हैक में से 379/16375 हिस्सा अर्थात 0.3790 हैक एवं खाता संख्या 508/497 की कुल 14.1000हैक में से 1/28 हिस्सा अर्थात 0.503571हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह उर्फ हरनेचलसिंह के नाम से दर्ज है का नाम तीनो खातों में कलमजान किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब संयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे च्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीव तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... जबरारसर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवाणी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरेन्द्रदीपसिंह पुत्र रिछपालसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब ।
2. दिलप्रीतसिंह पुत्र सेवकसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब ।

वादीगण

बनाम

- 1 रिछपालसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
- 2 सेवकसिंह पुत्र बाबुसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
- 3 गुरपालकोर पत्नी जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर
- 4 गगनदीपकोर पुत्री जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर
- 5 मनप्रीतसिंह पुत्र जगदेवसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
- 6 हरप्रीतसिंह पुत्र सेवकसिंह जाति जटसिख निवासी देवनखेडा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
- 7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 492 सन 2021 निर्णय दिनांक- 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य समुच्चय एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मीजा जबरासर के खाता संख्या 252/247 की कुल 3.3520 हैक एवं खाता संख्या 334/330 की कुल 16.3750 हैक में से 379/16375 हिस्सा अर्थात 0.3790 हैक एवं खाता संख्या 508/497 की कुल 14.1000 हैक में से 1/28 हिस्सा अर्थात 0.503571 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बाबुसिंह पुत्र अजायबसिंह उर्फ हरनेचलसिंह के नाम से दर्ज है का नाम तीनों खातों में कलमजबन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 बहिब समुक्त तौर से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....जबरासर